05.01.2018	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। समय अभाव के कारण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल के कायम मुकाम श्याम वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति बाबत लिमिटेशन पर आदेश नहीं लिखा जा सका। आज पुनः उभय पक्ष की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल के कायम मुकाम श्याम वगैरह के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति बाबत लिमिटेशन पर बहस करते हुए कथन किया कि लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आदेश दिनांक 20.3.2012 के विरूद्ध अपील 60 दिनों के भीतर –भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक एवं आज्ञापक है मगर अपीलांट द्वारा अपील आदेश दिनांक 20.3.2012 के विरूद्ध 65 दिन के पश्चात अर्थात 5 दिन देरिना मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में देरी को कण्डोन करने हेतु धारा 5 भारतीय मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया एंव अपील मीमों में अपील अंदर मयाद है या अंदर मयाद क्यों नहीं है अथवा देरिना क्यों प्रस्तुत की जा रही है के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलांट के द्वारा आदेश दिनांक 20.3.2012 के आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 23.5.2012 को 5 दिन देरिना क्यों प्रस्तुत की गई है इसका कोई कारण भी अपील मीमो में नहीं बताया गया है जबकि लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार देरी का प्रत्येक दिन स्पष्ट करना आज्ञापक है। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा अपील 5 दिन देरिना मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसके कारण अपील काबिल खारिज के है। अतः अपीलांट की अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4985 ओफ 1987.डी/डी. 5.4.2000 राघोसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित निर्णय की नजीर प्रस्तुत की है। अप्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता ने वकील प्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.3.2012 के विरूद्ध पेश की है जो अदर मयाद पेश की है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.3.2012 को पारित किया गया उक्त आदेश की नकल तारीख 22.3.2012 को चाही जो तारीख 23.3.2012 को तैयार होकर प्राप्त हुई और वर्तमान अपील निर्धारित परिसीमा कालावधि यानि 60 दिनों मे प्रस्तुत है। आदेश तारीख 20.3.2012 को पारित अपील तारीख 23.5.2012 को प्रस्तुत हो गई उक्त अवधि 63 दिनों की हुई एक दिन निर्णय/ आदेश सुनाया गया वो एवम् दो दिन प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगे कुल 3 दिन अपवर्जित करने से 60 दिनों यानि तारीख 23.5.2012 तक होते है। उसी दिन अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.3.2012 को पारित किया गया है। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय की प्रति हेतु दिनांक 22.3.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2012 को नकल तैयार की गई तथा प्रार्थी को दिनांक 23.3.2012 को ही नकल दे दी गई। अपीलांट ने यह अपील दिनांक 23.5.2012 को पेश की है। इस प्रकार माह मार्च 2012 के 11 दिन, माह अप्रेल 2012 के 30 दिन तथा माह मई 2012 के 23 दिन कुल 63 दिन के पश्चात्	

5/1/18

राजस्व अपील अधिकारी

	अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है तथा अपील के साथ धारा 5 भारतीय मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दिनांक से 60 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार अपील 3 दिन देरीना प्रस्तुत की है तथा उक्त 3 दिन की देरी के समय को कंडोन करने हेतु अपीलांट द्वारा धारा 5 भारतीय मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील 3 दिन देरिना प्रस्तुत की है तथा इस सम्बन्ध में देरी के समय को कंडोन करने हेतु धारा 5 भारतीय मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर चस्पा होती है। अतः उक्त अपील मयाद के बिन्दू पर खारिज होने योग्य होने से अपील अपीलांट अपील को मयाद बाहर प्रस्तुत करने से खारिज किया जाता है। यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 5.1.2018 को सरे इजलास केम्प बालोतरा में सुनाया गया। 5/1/18 (दाताराम) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर लिक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	